भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-5351
दिनांक 03 अप्रैल 2025 को उत्तरार्थ

केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान

5351. श्री धैर्यशील सभाजीराव माणे:
श्री चव्हाण रविन्द्र वसंतराव:
श्री सुधीर गुप्ता:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या कुछ विदेशी कंपनियों ने भारत में केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान (सीपीआरआई) द्वारा निर्मित विद्युत उपकरणों के प्रमाणन को स्वीकार करने से मना कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने इन समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित देशों के साथ कोई बैठक की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले; और

(ङ) सरकार द्वारा 1503.21 बिलियन डॉलर के वैश्विक विद्युत उपकरण बाजार पर कब्जा करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है, जिसमे चीन का पहले से ही 500 बिलियन डॉलर का हिस्सा है?

उत्तर

माननीय विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) से (घ) : केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान (सीपीआरआई) विद्युत उपकरणों की रेटिंग और निष्पादन के प्रमाणन की विश्वस्तरीय मान्यता प्राप्त परीक्षण और प्रमाणन एजेंसी है। यह संस्थान अत्याधुनिक सुविधा के साथ भारतीय विद्युत उपकरण निर्माताओं के साथ-साथ विदेशी निर्माताओं को भी परीक्षण सेवाएँ देता है।

वर्ष 2023 में, भारतीय विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण संघ (आईईईएमए) ने सीपीआरआई द्वारा जारी किए गए परीक्षण प्रमाणपत्रों को कुछ विदेशी यूटिलिटी द्वारा स्वीकार न करने पर चिंता व्यक्त की थी। इस संदर्भ में, विद्युत मंत्रालय ने केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान (सीपीआरआई) परीक्षण रिपोर्ट और प्रमाणपत्रों की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृति को बढ़ावा देने के लिए विदेश मंत्रालय और वाणिज्य विभाग के साथ इस मामले को उठाया है।

थाईलैंड, बांग्लादेश, अबू धाबी, कुवैत, अकरा, मस्कट, शारजाह, बहरीन, घाना आदि में भारतीय मिशनों के साथ बैठकें आयोजित की गईं। उपर्युक्त घटनाक्रम के तदुपरांत, वर्तमान में, इन देशों से सीपीआरआई परीक्षण रिपोर्ट को स्वीकार न करने के संबंध में कोई चुनौती नहीं मिली है। इसके अलावा, विभिन्न देशों के विदेशी ग्राहक नियमित आधार पर सीपीआरआई की सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं।

(ङ) : सरकार द्वारा 'आत्मनिर्भर भारत' पहल के तहत इलेक्ट्रिक उपकरण क्षेत्र सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कुछ उपाय किए गए हैं, जिसकी सूची निम्नवत हैं:

I. घरेलू निर्मित वस्तुओं की खरीद को प्राथमिकता देने के लिए औद्योगिक स्टीम जनरेटर / बॉयलर पर सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को वरीयता) आदेश जारी किया गया है।

II. सरकार ने बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए पीएलआई, आईटी हार्डवेयर के लिए पीएलआई स्कीम 2.0 जैसी पीएलआई स्कीम शुरू की हैं और कंपनियों को भारत के भीतर इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल उपकरण विनिर्माण के लिए प्रोत्साहित करने हेतु हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण स्कीम की शुरूआत की है, जिसका उद्देश्य विशेष रूप से चीन से आयात पर निर्भरता कम करना है।

III. भारत में इस्पात मंत्रालय द्वारा उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम का उद्देश्य विशेष रूप से इस्पात के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना है, जो रक्षा, मोटर वाहन और विद्युत उद्योगों जैसे क्षेत्रों में उपयोग की जाने वाली उच्च मूल्य वाली सामग्री है। जुलाई, 2021 में शुरू हुई एवं जनवरी, 2025 में पीएलआई स्कीम 1.1 के रूप में अद्यतित की गई यह स्कीम निर्माताओं को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करती है, निवेश, रोजगार सृजन और तकनीकी उन्नति को प्रोत्साहित करती है। यह स्कीम आयात को कम करके, निर्यात क्षमता को बढ़ाकर और भारत के इस्पात पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करके आत्मनिर्भरता को लक्षित करती है, जो कि आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है। इस स्कीम के तहत कवर किए गए पांच प्रकार के विशेष स्टील में से एक सीआरजीओ स्टील है जिसका उपयोग विशेष रूप से विद्युत क्षेत्र में किया जाता है।

IV. भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) द्वारा उन्नत रसायन सेल के निर्माताओं को प्रोत्साहित करने के लिए 18,100 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय के साथ उन्नत रसायन सेल (पीएलआई-एसीसी) हेतु पीएलआई स्कीम की शुरूआत की गई थी। इस स्कीम का उद्देश्य 50 गीगावाट घंटा की स्थानीय विनिर्माण क्षमता का निर्माण करना है, जिसमें से 30 गीगावाट घंटा को पहले ही सब्सक्राईब किया जा चुका है।

V. उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल के लिए पीएलआई स्कीम का उद्देश्य भारत में उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल के विनिर्माण को बढ़ावा देना है।

VI. इलेक्ट्रॉनिक कलपुर्जों और अर्धचालकों के निर्माण को बढ़ावा देने की योजना (एसपीईसीएस) को दिनांक 01 अप्रैल, 2020 को अधिसूचित किया गया था, ताकि इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं की चिह्नित की गई सूची के लिए पूंजीगत व्यय पर 25% का वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया जा सके, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों, यथा-इलेक्ट्रॉनिक घटक, अर्धचालक/निष्पादन निर्माण इकाइयां, एटीएमपी इकाइयां, विशेष उप-

संयोजन की डाउनस्ट्रीम मूल्य श्रृंखला एवं उपर्युक्त वस्तुओं के विनिर्माण के लिए पूंजीगत सामान शामिल हैं।

VII. निवेश को आकर्षित करने के लिए सामान्य सुविधाओं और सुख-सुविधाओं के साथ-साथ विश्व स्तरीय अवसंरचना निर्माण के लिए सहायता प्रदान करने हेतु इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर योजना और संशोधित इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर (ईएमसी 2.0) योजना की शुरूआत की गई।

VIII. वर्तमान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीति के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण (भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देशों को छोड़कर) के लिए स्वचालित मार्ग के तहत 100% तक एफडीआई की अनुमति है, जो लागू कानूनों/नियमों, सुरक्षा और अन्य शर्तों के अध्यधीन है।

IX. इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए टैरिफ संरचना को युक्तिसंगत बनाया गया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ सेलुलर मोबाइल फोन, टेलीविजन, इलेक्ट्रॉनिक घटक, टीवी के लिए सेट टॉप बॉक्स, एलईडी उत्पाद और मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण शामिल हैं।

X. निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के विनिर्माण के लिए अधिसूचित पूंजीगत वस्तुओं को "शून्य" मूल सीमा शुल्क पर आयात करने की अनुमति है।

XI. देश भर में 65 निर्यात सुविधा केंद्रों (ईएफसी) की स्थापना, जिसका उद्देश्य निर्यातकों, विशेष रूप से एमएसएमई को अपने उत्पादों और सेवाओं को विदेशी बाजारों में निर्यात करने में अपेक्षित मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करना है।

XII. निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं के माध्यम से सहायता प्रदान की जा रही है, जैसे निर्यात के लिए व्यापार अवसंरचना योजना (टीआईईएस) और बाजार पहुंच पहल (एमएआई) योजना।

****